प्रेस नोट थाना पुवायां

जनपद शाहजहांपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 26.01.2025

“थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा सादिक फुटवेयर दुकान पर मादक पदार्थ व अवैध शस्त्र को एक थैले मे छुपा कर रखने वाले मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा सादिक फुटवेयर दुकान पर मादक पदार्थ व अवैध शस्त्र को एक थैले मे छुपा कर रखने वाले मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.01.2025 को मो0न0 7523075322 थाने के CUG नं0 94544404217 पर सूचना मिली कि थाने के सामने सादिक फुट वियर दुकान पर मादक पदार्थ व अवैध शस्त्र रखा है। इस सूचना पर सादिक फुट वियर नाम की दुकान पर आये। दुकानदार सादिक अली ने बताया कि यह थैला एक व्यक्ति मेरी दुकान पर रखकर ATM से पैसे निकालने गया है शक होने पर धारा 105 BNSS के प्रावधानों के अन्तर्गत थैला खुलवाकर तलाशी ली गयी तो थैले मे 30 छोटे छोटे पैकेट पारदर्शी में सफेद पाऊडर स्मैक व दूसरा प्लास्टिक पैकेट अफीम व एक पैकेट जिसमे एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज चालू हालत व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामद माल व फर्द के आधार पर थाना पुवायाँ पर मु0अ0सं0 0027/2025 धारा 08/18 व 08/22 NDPS Act व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी। उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया । दौराने विवेचना अभियुक्त रबीउल्ला पुत्र शमीउल्ला उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम सल्लीहा पोस्ट कंचनपुर थाना फरधान जनपद खीरी को दिनांक 21.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं ।

दिनांक 25.01.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे बांछित मुख्य अभियुक्त मो0 सईद पुत्र इमाम बक्श निवासी मो0 पूर्वी दीक्षिताना बार्ड नं0 25 थाना गोला जनपद खीरी को बरघैया चौराहा मोहम्मदी से समय करीब 20.25 बजे उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए हिरासत मे लिया गया। जिसको बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही आज मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मो0 सईद पुत्र स्व0 इमाम बक्श उम्र करीब 50 वर्ष निवासी मो0 दीक्षिताना वार्ड नं0 25 गोला थाना गोला जनपद खीरी

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 0027/2025 धारा 08/18 व 08/22 NDPS Act व 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 61(2) बीएनएस थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ अभियुक्तः- मो0 सईद उपरोक्त ने अपनी गलती की मांफी मांगते हुए बताया कि ग्राम प्रधान अलीगंज आरिफ पुत्र नाजिर अली निवासी मो0 कबडयाना ग्राम अलीगंज थाना गोला जिला खीरी का छोटा भाई सलमान उर्फ शीबू जो ग्राम पंचायत निर्माण/मरम्मत आदि का काम देखता है, अगस्त 2024 मे मुझे मिला था और मुझसे ग्राम अलीगंज पंचायत भवन मे रंगाई व पुताई करने को कहा तो मै तैयार हो गया था । पुताई के दौरान मै तथा

सलमान उर्फ शीबू काफी अच्छे दोस्त बन गये थे और एक दुसरे से मन की बात करने लगे थे। एक दिन सलमान उर्फ शीबू पुत्र नाजिर अली मुझसे दुखी होकर कहने लगा कि मेरी पत्नी को पुवायां का एक लड़का सादिक जिसकी थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के सामने सादिक फुटवियर की दुकान है, फसाकर लखनऊ व इधर उधर घूमता है। जब मैने सलमान उर्फ शीबू उपरोक्त को काफी परेशान देखा तो अपना दिमाग लगाया और बिना किसी को बताये मैने एक सिम रबीउल्ला कम्यूनिकेशन स्थित अलीगंज थाना गोला जनपद खीरी दुकान मालिक रबीउल्ला से दूसरे की आईडी पर 2000 रु0 देकर खरीद लिया था और एक छोटा सस्ता फोन खरीदा और मैने सलमान उर्फ शीबू को बिना बताये सादिक फुटवियर पुवायां दुकान वाले को फसाने की योजना बनाई तथा मैने सारा समान इकट्ठा किया और तमंचा कारतूस पहले से ही मेरे पास मे रखे थे। सभी की पैकिंग मैने अपने घर पर की थी। दिनांक 07.01.2025 को मैने पुवायां आकर रास्ता व दुकान की स्थिति देखी थी और दिनांक 08.01.2025 को मैने पुनः पुवायां स्थित सादिक फुटवियर दुकान पर आकर, दुकानदार को शक ना हो, जूते चप्पल जिनमें कुछ मर्दाना व कुछ जनाना निकलवाये तथा एक जोड़ी जूता मैने अपने लिए लिये। जिनकी कीमत करीब 2000 रुपये हो रही थी। नये जूते मैने पहन लिये तथा पुराने जूते व नये मर्दाना व जनाना खरीदे गये जूते चप्पल डब्बे मे अलग रखवाकर तथा अपने लिये खरीदे गये जूते के 200 रु0 दुकान पर जमाकर और पैकिंग वाला थैला जिसमे अफीम व तमंचा था, सादिक फुटवियर दुकान पर ही रखकर कुछ मोल भाव करके एटीएम से पैसे निकालने का बहाना करके सादिक फुटवियर दुकान से चला गया था और जेवां चौराहा पर जाकर मैने उसी फोन से फोन करके कोतवाल पुवायां के सीयूजी फोन पर किया और उसी समय फोन करके पत्रकार के मोबाईल पर किया था। फोन करने के बाद मै आशवस्त हो गया था कि अब सादिक फुटवियर दुकान के मालिक सादिक को पुलिस पकड़कर जेल भेज देंगी। फिर मैने साक्ष्य को छिपाने के लिये वह सिम व मोबाईल को जिससे मैने फोन किये थे, तोड़कर जेंवा चौराहा पर ही बने नाले के बहते पानी मे फेंक दिया था।

गिरफ्तार करने वाली टीमः –

1. उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 180 निर्दोष कुमार थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर